न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

(न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कठूमर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/12/2015

वउनवान

1. बाबू पुत्र मूला जाति जाट निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायल

बनाम

1. अजीतसिंह पुत्र छोटे जाति जाट निवासी कठूमर
2. रघुवीर पुत्र छोटे जाति जाट निवासी कठूमर
3. रामचन्दर पुत्र छोटे जाति जाट निवासी कठूमर
4. उप पंजीयक कठूमर
   तहसील कठूमर जिला अलवर

----- गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री औमवीरसिंह चौधरी एडवोकेट : वकील सायल

आदेश

दिनांक 01.05.2018

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1308 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। जो साविक खसरा नम्बर 1028 मिन रकवा 2 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम कठूमर से बनाया गया है। उपरोक्त विवादित

आराजी सायल एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 के बाबा कुन्दन पुत्र किरोडी जाति जाट की कब्जे का त खातेदारी की आराजी है जिस पर सायल एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 के बाबा कुन्दन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से ही

काविज रहकर का त करते चले आ रहे है तथा जमाबन्दी संवत् 2019 में सायल के पिता कुन्दन के नाम आराजी मुतनाजा की खातेदारी दर्ज है तथा उनके फौत होने पर सायल एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 आराजी मुतनाजा पर काविज रहकर का त करते चले आ रहे है। गैरसायलान वो उनके पिता छोटे का आराजी मुतनाजा से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। विवादित आराजी पर हमेशा से सायल काविज रहकर का त करता चला आ रहा है। बन्दोवस्त विभाग ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से असल गैरसायलान के पिता छोटे का नाम आराजी मुतनाजा में 1/2 हिस्से पर दर्ज कर दिया जवकि बन्दोवस्त विभाग को पुराने इन्द्राज को रिपीट करते हुये आराजी मुतनाजा को तन्हा सायल के बाबा कुन्दन की खातेदारी में दर्ज करना चाहिए था। बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार इन्द्राज बदलने का कोई हक वो अधिकार नहीं था। सायल ने गेरसायलान से विवादित आराजी वावत इन्द्राज को दुरूस्त कराने वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। गलत इन्द्राज की आड में गैरसायलान विवादित आराजी के कब्जे का त में बाधा पैदा करते है तथा रहन वय करने को उतारू है। गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल को अपार हानि क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना–पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में सावित है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1388 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में सायल के का तकारी कार्य करने में किसी किस्म की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने उक्त आराजी को रहन वय ना करने वावत गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान ने हाजिर होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया जो संलग्न प्रार्थना पत्र है।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 मिलान क्षैत्रफल नकल जमाबन्दी संवत् 2028 नकल जमाबन्दी संवत् 2019 ग्राम रेला की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव तरतीवी प्रतिवादी सं04 के बाबा कुंन्दन पुत्र किरोडी की कब्जे का त खातेदारी की आराजी है। जमाबन्दी संवत् 2019 में सायल के पिता कुन्दन की खातेदारी दर्ज है। वन्दोवस्त विभाग ने दौरान बन्दोबस्त पुराने इन्द्राज रिपीट न कर 1/2 हिस्से पर गैरसायलान के पिता छोटे का नाम दर्ज कर दिया। बन्दोबस्त विभाग को इस तरह के इन्द्राज तब्दील करने का अधिकार नहीं था। हाल राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सा गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज चला आ रहा हैं जिस कारण सायल के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है गलत इन्द्राज की आड में गेरसायलान विवादित आरिजी में सायल व तरतीवी प्रतिवादी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर रहे है तथा गलत इन्द्राज की आड में विवादित आराजी को गैरसायल संख्या 4 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय करने पर अमादा है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :–

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

पत्रावली के तथ्यों पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल की वहस पर मनन किया। सायल द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से यह सही है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1388 का साविक खसरा नम्बर 1028 मिन रकवा 2 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम कठूमर से बना है। जमाबन्दी संवत् 2019 में विवादित आराजी का साविक खसरा नम्बर 1028 मिन कुन्दन पुत्र किरोडी जाट सा0 देह खातेदार (मालिक) दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2028 में हाल खसरा नम्बर 1388 वाके ग्राम कठूमर बन्दोबस्त विभाग द्वारा कुन्दन, छोटे पि0 किरोडी दर्ज किया गया है। जमाबन्दी संवत् 2019 के अनुसार विवादित आराजी का

साविक खसरा नम्बर 1388 सायल के दादा कुन्दन पुत्र किरोडी की खातेदारी में दर्ज है। सायल ने विवादित आराजी वावत राजस्व रेकार्ड में दर्ज गैरसायलान के 1/2 के इन्द्राज को कलमजन करने व सायल व तरतीवी प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज करने का दावा घोषणात्मक पे ा किया है। सायल व तरतीवी प्रतिवादी विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है या नहीं यह प्रार्थना पत्र की विषय बस्तु नहीं है। इसका निर्णय दावा में अपेक्षित है। इस वजह से दावा के निर्णय तक विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड का मूल स्वरूप यथावत बनाये रखना उचित प्रतीत होता है। यदि गैरसायलान ने सायल व तरतीवी प्रतिवादी के कब्जे का त में बाधा पैदा की या हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर विवादित आराजी को रहन वय कर दिया तो अपार हानि व असुविधा सायल को होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुंविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति का विन्दु सायल के पक्ष में प्रवल है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीयान को पाबन्द किया जाता हे कि दावे के अंतिम निस्तारण तक आराजी खसरा नम्बर 1388 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में सायल के कब्जे का त में किसी तरह की रूकावट वो मजाहमत पैदा ना करें। सायल को जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। रहन वय ना करें तथा मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 01.05.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर